ठेका मिलने के बदले ठेकेदार बनवा रहा है हरियाणा भाजपा का दफ्तर

रोहतक में जिस कंपनी को रेलवे के काम का ठेका मिला है, वही दफ्तर बनवा रहा है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

रोहतक: हरियाणा भाजपा का दफ्तर रोहतक में बनाने के लिए शातिराना ढंग से दिमाग लगाया गया है। रोहतक में देश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का ठेका देने के बदले में भाजपा ने पूरे सौ करोड़ रूपये का फायदा लिया है । यह फायदा नकदी के रूप में न देकर भाजपा को सौ करोड़ रुपये मूल्य का छह मंजिला आलीशान दफ्तर बना कर चुकता किया जाएगा । इस मामले में हरियाणा भाजपा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह नंगी हो गई है।

एक एकड़ में हरियाणा भाजपा का दफ्तर

रोहतक के सेक्टर 5 में राजीव गांधी खेल स्टेडियम के पास स्थित रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के साथ लगभग एक एकड़ भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय कार्यालय बन रहा है । यह कार्यालय साढ़े छह मंजिल का होगा ।

इस कार्यालय को बनाने का ठेका विवाम (VIVAAM) कांट्रेक्ट इंडिया प्रा. लि. नामक नोएडा की एक निर्माण कंपनी को दिया गया है । इस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर आर के मेहता का कहना है कि इस इमारत का प्रोजैक्ट 100 करोड़ रूपये का है। मेहता के मुताबिक भाजपा के नए कार्यालय का फ्रंट 62.5 मीटर का है जबकि इसकी लंबाई 68.5 मीटर है। दो मंजिलें अंडरग्राऊंड होंगी जबकि शेष मंजिलें ग्राऊंड फ्लोर से ऊपर रहेंगी । पूरी इमारत का कवर्ड एरिया एक एकड़ क्षेत्र का होगा, यह तो पक्का है, लेकिन ओपन एरिया कितना होगा, यह मुझे नहीं पता है।

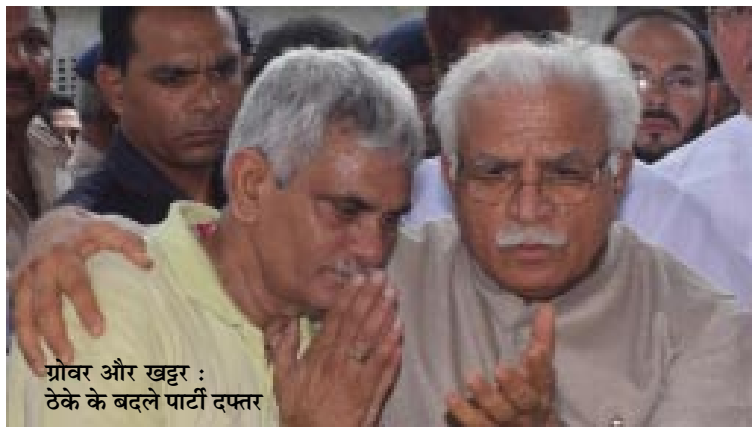

ग्रोवर और खट्टर : ठेके के बदले पार्टी दफ्तर

कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा

मौके पर जाकर पता चलता है कि इस इमारत के लिए सारा कंक्रीट, लोहा और सीमेंट भाजपा कार्यालय की इस साईट से कोई 400 मीटर दूर स्थित गावड कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिक्सचर प्लांट और स्टोर से सप्लाई हो रहा है । गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी वह कंपनी है जो रोहतक में बन रहे देश के पहले रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कर रही है । इस ट्रैक के निर्माण हेतू निविदा शर्तों के मुताबिक तमाम सीमेंट, लोहा और कंक्रीट की सप्लाई सरकार द्वारा की जाती है । सरकारी सप्लाई होने के कारण सीमेंट की बोरियों पर 'बिक्री के लिए नहीं' (NOT FOR SALE) का ठप्पा लगा होता है । इसी तरह लोहा भी सरकार द्वारा अनुमोदित हाई क्लास कंपनी का ही होता है ।

आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि भाजपा के निर्माणाधीन कार्यालय में मिली सीमेंट की बोरियां आश्चर्यजनक ढंग से 'नॉट फॉर सेल' की मिली और उसी कंपनी की मिली हैं जो कि गावड़ के गोदाम में सरकार द्वारा सप्लाई की गई हैं । आप समझ सकते हैं कि भाजपा के कार्यालय का निर्माण कार्य एक निजी कार्य है और उसका सरकार से कोई मतलब नहीं, किंतु भाजपा के निर्माण कार्य में सरकारी कोटे की सीमेंट पाए जाने का अर्थ क्या है ? इसी तरह सरकारी कोटे के लोहे के ढेर भी भाजपा के निर्माणाधीन कार्यालय में देखने को मिले जो कि गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टोर में पड़े स्टील के ढ़ेरों से मैच करते हैं।

खुलेआम डाका

भाजपा के निर्माणाधीन कार्यालय में सरकारी कोटे की सीमेंट और स्टील मिलने का अर्थ है कि सरकारी माल पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है । हमने लगातार दो दिन तक गावड़ कंपनी के प्लांट से निकलने वाले ट्रकों और मिक्सचर वाहनों पर कड़ी नजर रखी और वीडियोग्राफी का सहारा लिया तो पता लगा कि कुछ वाहन माल भर कर भाजपा के निर्माणाधीन कार्यालय में पहुंच कर खाली हो रहे हैं और वापिस गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टोर में पहुंच रहे हैं ।

भाजपा के नए कार्यालय का काम नवंबर 2018 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसका भूमि पूजन 19 जनवरी 2019 को हुआ था। भूमि पूजन में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला और प्रांतीय संगठन मंत्री सुरेश भट्ट (जो कि आरएसएस के प्रचारक भी हैं) के अलावा रोहतक के विधायक और राज्य के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर शामिल हुए थे ।

हरियाणा के मंत्री मनीष ग्रोवर की भूमिका

कांग्रेस शासन के समय इस रेलवे ट्रैक को यहां से उठा कर गांव बहु अकबर पुर के पास एक नया रेलवे गलियारा बनाकर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई थी। मौजूदा जगह से रेलवे ट्रैक उठाने से इस जमीन पर चौड़ी सड़क बनाने की बात कही गई थी। इससे इस सड़क के दोनों और बसे सैकड़ों लोगों को शानदार दुकानें और मार्किट बनने की आस थी। साथ ही शहर का काफी ट्रैफिक इस सड़क पर शिफ्ट होने से नगर की सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद भी थी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने रेलवे ट्रैक को शिफ्ट करने की बजाय यहां पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की योजना पर विशेष जोर देना शुरू कर दिया । लोगों के भारी विरोध के बावजूद भी मनीष ग्रोवर यहां पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की जिद पकड़े रहे। इसका नतीजा यह हुआ ट्रैक के दोनों और बसे सैंकड़ों गरीब लोग बुरी तरह उजड़ गये और उनका रोजगार का बढ़िया मौका मिलने का सपना टूट कर चूर चूर हो गया ।

मनीष ग्रोवर ने ही दिलाया ठेका

इस ट्रैक का ठेका मनीष ग्रोवर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कह कर गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिला दिया, जिसके मालिकों से मनीष ग्रोवर के प्रगाढ़ संबंध जगजाहिर हैं । इसके बदले में अंदरखाते यह समझौता हुआ है कि गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी बीजेपी को फ्री में सौ करोड़ी प्रोजेक्ट वाला भाजपा का आलीशान दफ्तर बना कर देगी । हालांकि दिखाने के लिए फ्रंट पर नोएडा की विवाम कंस्ट्रक्शन कंपनी को रखा गया है ताकि गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हुई सौदेबाजी को कवर मिल सके।

विवाम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकान के साथ बीजेपी नेताओं के अंतरंग संबंधों का भी खुलासा हुआ है । सारे मामले को इस तरह समझा जा सकता है कि असल में गावड कंस्ट्रक्शन कंपनी ही बीजेपी का दफ्तर बना रही है और विवाम कंस्ट्रक्शन कंपनी सिर्फ मुखौटे के तौर पर काम कर रही है । यदि सारे मामले की गहराई से तहकीकात की जाएगी तो भाजपा के नेता कभी यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आलीशान दफ्तर बनाने के लिए उनके पास सौ करोड़ रूपये की मोटी राशि एकाएक कहां से आई ? यह राशि किस खाते में रखी गई और कब-कब तथा किसे-किसे कितना-कितना भुगतान किया गया ? और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका भाजपा नेता कभी जवाब नहीं दे पाएंगे ।

भाजपा ने दिल्ली में प्लॉट लूटने के लिए डीडीए का लैंड यूज ही बदलवा दिया

भाजपा ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर बनाने के नाम पर एक और प्लॉट हासिल किया

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: केंद्र में सत्ता हासिल करने के बाद संसाधनों को लूटने में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को 70 साल पीछे छोड़ दिया है। पिछले पांच सालों में पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जितनी लूट इस पार्टी की सरकार ने की है, उतनी किसी ने नहीं की। दिल्ली हो या रोहतक या दक्षिण भारत का कोई शहर दफ्तर बनाने के लिए जमीन हथिया ली गई।

आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले ही हाथ मारा

लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा 10 मार्च को हुई और उसी दिन से आचार संहिता भी लागू हो गई लेकिन भाजपा पर्दे के पीछे यह कर रही थी। ठीक एक दिन पहले यानी 9 मार्च को भाजपा को अपने दिल्ली मुख्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर अतिरिक्त 2 एकड़ जमीन मिली, जो पार्टी के मौजूदा कार्यालय के ठीक सामने है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने तीन साल पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दी। नया प्लॉट, 3 बी-डीडीयू, जो डीडीयू मार्ग पर लगभग 2.189 एकड़ है, प्लॉट 6 ए-डीडीयू पर उसी सड़क पर पार्टी को पहले से आवंटित 2 एकड़ के अलावा होगा। 6 ए पर, फरवरी 2018 से भाजपा का मुख्यालय काम कर रहा है।

बेशर्म डीडीए ने किया बचाव

शहरी विकास मंत्रालय के अफसरों ने बड़ी ही बेशर्मी से इस फैसले का बचाव किया। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टियों के लिए भूमि के आवंटन के अनुसार अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई। यानी उसका कहने का मतलब यह था कि भाजपा ने कोई पाप नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की पिछली सरकार जो नीतियां यूपीए 2 में बनाकर गई थी, भाजपा ने उसी का फायदा उठा लिया।

उस समय के नियमों के अनुसार, संसद में 101 से 200 सांसदों वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास 2 एकड़ भूमि है, तो 200 से अधिक सांसदों वाली पार्टी को अपने मुख्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 4 एकड़ जमीन पाने का अधिकार है।

2014 में लोकसभा में बीजेपी को 282 सीटें मिलने के बाद, भगवा पार्टी ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क किया। 2015 में अतिरिक्त 2 एकड़ ज़मीन की मांग की। पुराने नियमों का हवाला दिया और उसे मुद्दा बनाया। उसे जमीन मिल गई।

सारा काम बड़ी सफाई से हुआ

भाजपा को नया प्लॉट देने की पूरी तैयारी की गई। सारी गोटियां पहले से बैठाई गईं ताकि अगर कल को केंद्र में उसकी सरकार न भी हो तो उस जमीन को वापस न लिया जा सके। 25 फरवरी 2019 यानी इसी साल डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) जो केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के तहत काम करता है, उसने दिल्ली में भूमि संरक्षक प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसने ग्रुप हाउसिंग के लिए आवंटित प्लॉट को सार्वजनिक या अर्थ सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन के इस्तेमाल का नियम बदल दिया यानी लैंड यूज बदल दिया। डीडीए की जिस बैठक में इस प्लॉट का लैंड यूज बदलने का फैसला हुआ, उस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने खुद की थी।

डीडीए ने चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा घोषित आम चुनावों की तारीख से एक दिन पहले 9 मार्च को प्लॉट 6 ए का लैंड यूज ग्रुप हाउसिंग से बदलकर सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि कर दिया। इसका एक सार्वजनिक नोटिस भी चुपचाप छपवा दिया गया। डीडीए सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त जमीन के लिए भाजपा को 2.08 करोड़ रुपये का भुगतान करना है जो जाहिर है कि अमित शाह के रहते कोई मुश्किल काम नहीं है।

2014 में सरकार बनते ही काम शुरू किया

2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में बनते ही राजधानी दिल्ली में भाजपा का फाइव स्टार सुविधाओं वाला दफ्तर बनाने की पहल शुरु हो गई थी। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि 2015 में इस संबंध में डीडीए से दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर जमीन मांगी गई। 2016 में डीडीए ने उसे जमीन आवंटित भी हो गई। अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए दफ्तर की आधारशिला रखी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने फौरन काम शुरू करा दिया और 18 फरवरी 2018 में इसका उद्घाटन मोदी ने कर दिया। भाजपा के इस नए दफ्तर पर 350 करोड़ रुपये पार्टी फंड से खर्च किए गए। इस दफ्तर में 70 कमरे हैं। भाजपा ने अब जो नया प्लॉट डीडीए से लिया है, उसमें उसके अन्य संगठनों के दफ्तर होंगे। अभी मुख्य कार्यालय में उनको एक-एक कमरा मिला है, लेकिन जब ठीक सामने वाले प्लॉट में नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो बाकी संगठनों के दफ्तर वहां भेज दिए जाएंगे।

ग्रीन बेल्ट पर होते कब्जे और एनजीटी की चलती ड्रामेबाज़ी

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर की ग्रीन बेल्टों पर जगह-जगह उद्यमियों द्वारा अवैध कब्जों के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता वरुण श्योकंद ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में जो याचिका दायर की थी उस पर फ़ैसला देते हुए बीते बुधवार को एनजीटी ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर नगर निगम व 'हूडा' वाले इन कब्ज़ों को हटायें। इसके साथ-साथ तो एनजीटी ने यह भी कहा कि यदि दो सप्ताह में कब्जे न हटें तो याचिकाकर्ता पुन: एनजीटी में आकर अवमानना केस दायर कर सकता है।

कितना वाहियात फ़ैसला है यह! याचिकाकर्ता ही बार-बार धक्के खाये एनजीटी के? बीसियों तीसियों बरस से जो लोग कब्ज़े जमाये बैठे हैं वे मुफ़्त में नहीं बैठे हैं। वे इसके एवज में अफ़सरों व नेताओं को बाकायदा किसी न किसी रूप में घूस देते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि किसी भी नागरिक को केवल इसलिये किसी भी न्यायालय में क्यों जाना पड़े कि अफ़सर घूसखोरी करके अवैध कब्ज़े करा रहे हैं? और यदि जाना पड़ भी जाय तो न्यायालय ऐसे अधिकारियों को दो सप्ताह का समय देने की अपेक्षा उनके विरुद्ध कर्त्तव्य में कोताही व भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्यवाही क्यों न करे? ऐसा नहीं है कि कोई नागरिक सीधे मुंह उठा कर एनजीटी या किसी अन्य न्यायालय में चला जाता है, क्योंकि यह एक जटिल एवं खर्चीली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले अनेकों बार अनेकों तरीकों से इन अफ़सरों को चेताया जाता है।

इस मामले में भी यदि एनजीटी की नीयत एवं कार्यशैली जनहितैषी एवं न्यायपूर्ण होती तो उक्त दोनों विभागों को आदेश दिया जाता कि वे दो कि वे दो सप्ताह में स्वयं आकर शपथपत्र दायर करें कि उन्होंने कब्जे हटा दिये हैं। इसके बाद एनजीटी स्वयं अथवा याचिकाकर्ता के माध्यम से पता लगाये कि दिया गया शपथपत्र झूठा तो नहीं है। यदि न्यायपालिका एव तमाम ट्रिब्यूनल इस तरह से काम करने लग जायें तो न केवल समस्याओं का निदान सुनिश्चत हो जायेगा बल्कि समस्यायें पैदा होने की दर भी काफ़ी कम हो जायेगी।

स्मार्ट सिटी का सीवर सिस्टम और पर्यावरण

उक्त चित्र दिनांक 25 मार्च को एनएच-5 का है। यह स्थान दयानंद महिला कॉलेज के सामने से 5 नम्बर में जाने वाली सड़क पर कॉलेज के ठीक सामने है। चित्र में डीज़ल इंजन से पम्प सेट चलाकर सीवर का पानी बाहर फेंका जा रहा है जो बह कर स्वत: इधर-उधर चला जायेगा।

नगर निगम की इस करतूत से जहां सड़े हुए सीवेज से सारे वातावरण में असहनीय दुर्गंध फ़ैलती है वहीं डीजल इंजन के धुंए से सड़क पर चलना और भी दूभर हो जाता है। नगर निगम का यह कारनामा केवल यहीं एक स्थान पर नहीं हो रहा; शहर भर में ऐसे करीब पचासों स्थान हैं जहां रोज़ाना इसी तरह डीज़ल पम्प सेट द्वारा सीवर के सड़े पानी को निकाल कर फ़ेंका जाता है। जाहिर है निगम यह कार्यवाही तभी करता है जब सीवर लाइन जाम होकर ओवर फ्लो होने लगती है। बजाय सीवर लाइन को सुचारु रूप से चलाने के निगम ने यह शॉर्ट कट पकड़ रखा है। इस से प्रदूषण तो फ़ैलता ही है निगम का खर्चा भी अतिरिक्त रूप से बढ़ता है। निगम का यह कारनामा एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) द्वारा सीवेज शोधन की पोल भी खोलता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06